



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1406]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 1406]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

(आयकर)

का.आ. 1705(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 2012 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

भारतीय आयकर विवरणी

निर्धारण वर्ष

[उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139 (4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है]

(कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए)

(मार्गदर्शन के लिए संलग्न अनुदेश भी देखिए)

2012-1

प्ररूप

आ.क.वि.-7

भाग क-साधारण

नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)	स्थायी लेखा संख्यांक
फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम
	विरचना/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)
	/ /

व्यक्तिगत सूचना	सड़क/मार्ग/हाक घर	क्षेत्र/अवस्थान		प्राप्ति (अनुदेश देखिए)	☐
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड		
	कार्यालय का दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित		फैक्स सं.	आय-कर वार्ड/सर्किल	
ई मेल पता					
क्या पते में कोई परिवर्तन हुआ है ☐ हां ☐ नहीं					
फाइल करने की प्रक्रिया	आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का नाम				
	फाइल की गई विवरणी (निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं० 5 देखें] ☐ देय तारीख से पूर्व - 139(1) ☐ देय तारीख के पश्चात् - 139(4) ☐ पुनरीक्षित विवरणी - 139(5)				
	या सूचना के उत्तर में ☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153क ☐ 153ग				
	किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है ? ☐ 139(4क) ☐ 139(4ख) ☐ 139(4ग) ☐ 139(4घ)				
यदि पुनरीक्षित है, तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें					
आवासीय प्राप्ति ? (निशान लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी					

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
रसीद सं०.

तारीख

प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

	अ	(क)	क्या पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है ?	(घ) का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं
		(ख)	यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हां' है तो, क्या इसमें धारा 2(15) में निर्दिष्ट वाणिज्यिक प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है ?	☐ हां ☐ नहीं
		(ग)	यदि उपर्युक्त (ख) का उत्तर हां तो क्या वाणिज्यिक क्रियाकलाप से कुल वार्षिक पावती 25 लाख रुपये से अधिक की है ?	☐ हां ☐ नहीं
	आ	क्या धारा 10 के अधीन फूट का दावा किया जा रहा है ?		☐ हां ☐ नहीं
	इ	(क)	क्या धारा 10(23ग) के उपखंड (iii) कघ) या (iii) कड) के अधीन फूट का दावा किया जा रहा है ?	☐ हां ☐ नहीं
		(ख)	यदि हां, तो क्या वार्षिक पावती एक करोड़ रुपये से अधिक की है ?	☐ हां ☐ नहीं

इ	(क)	क्या धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	☐ हा ☐ नहीं
	(ख)	यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण सं. रजिस्ट्रीकरण की तारीख/...../..... (तारीख/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें	
उ	(क)	क्या धारा 35 के अधीन अनुमोदन प्राप्त हो गया है ?	☐ हा ☐ नहीं
	(ख)	यदि हां, तो अनुमोदन सं.	
		अनुमोदन की तारीख/...../..... (तारीख/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें	
		रजिस्ट्रीकरण कब तक विधिवान्य है ?/...../..... (तारीख/मास/वर्ष)	
ऊ	(क)	क्या अनुमोदन धारा 80छ के अधीन अभिप्राप्त किया गया है ?	☐ हा ☐ नहीं
	(ख)	यदि हां तो अनुमोदन सं. अनुमोदन की तारीख/...../..... (तारीख/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें	
ए		क्या वर्ष के दौरान उद्देश्यों/क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है ?	☐ हा ☐ नहीं
ऐ	(क)	क्या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ?	☐ हा ☐ नहीं
	(ख)	यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण सं., रजिस्ट्रीकरण की तारीख/...../..... (तारीख/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें	
	(ग)	भारत के बाहर से प्राप्त अभिदाय की रकम	
ओ		क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर के लिए दायी है	☐ हा ☐ नहीं
औ		क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?	☐ हा ☐ नहीं

संपरीक्षा संबंधी घांरे	क्या आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? ☒ हा ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :	
	किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (?) धारा विनिर्दिष्ट करें	
	[] [] [] [] [] []	
	क	कर संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले संपरीक्षक का नाम
	ख	संपरीक्षक का सदस्यता संख्यांक
	ग	संपरीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म)
	घ	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी खाता संख्यांक
ङ	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख	

तारीख 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि में लिए आय का विवरण

1	अन्य स्रोतों से अनुसूची णघ की मद सं. 5 के अनुसार	1	
2	गृह संपत्ति से आय अनुसूची जत की मद सं. 3ग के अनुसार	2	
3	पूजी अभिलाष शीर्ष के अधीन आय	3	
i	अत्यकालिक धारा 111क के अधीन अ. 6 के अनुसूची गछ	3i	

विधियों के अनुसार	ii	अन्य अल्पकालिक [अ.7 अनुसूची गछ]	3ii	
	iii	दीर्घकालिक [अ.3 अनुसूची गछ]	3iii	
	iv	योग	3iv	
	4	अनुसूची कडू की मद सं. ई 34 के अनुसार कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाष	4	
अनुसूची कडू की मद सं. ई 34 के अनुसार कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाष	5	सकल आय $[1+2+3iv+4]$	5	
	6	कटौतियाँ	6	
	i	पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई रकम	6i	
	ii	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई समझी गई रकम धारा 11(1) के तहतकरण का खंड (2)	6ii	
	iii	पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए उस सीमा तक संचित/अलग रखी गई / अतिरिक्त से अलग रखी गई रकम जहां तक वह धारा 11(1)(क) के अधीन केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए पूर्णतया या भागस्वरूप के रूप में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है	6iii	
	iv	धारा 11(1)(ग) के अधीन छूट के लिए पात्र रकम	6iv	
	v	धारा 11(1)(घ) के अधीन छूट के लिए पात्र रकम	6v	
	vi	यदि धारा 11(2) में की सभी शर्तें पूरी की जाती हैं तो उपर्युक्त iii में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या अलग रखी गई निश्चित रकम के अतिरिक्त रकम	6vi	
	vii	धारा 10 के अधीन दावाकृत छूट की रकम	6vii	
	viii	किसी राजनैतिक दल की दशा में धारा 13 के अधीन दावाकृत छूट की रकम [अनुसूची छ अ भी मर्गे]	6viii	
	ix	योग	6ix	
	7	जोड़ें	7	
	i	धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय	7i	
	ii	धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय	7ii	
	iii	ऐसी आय, जिसके संबंध में धारा 13 के उपबंधों के आधार पर धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है	7iii	
	iv	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	7iv	
	v	योग $[7i+7ii+7iii+7iv]$	7v	
	8	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची छत की मद सं. उ36 के अनुसार]	8	
	9	सकल कुल आय $(5-6ix+7+8)$	9	
	10	अध्याय 8क के अधीन कटौतियाँ, यदि कोई हों	10	
	11	कुल आय $[9-10]$	11	
	12	हर के प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय	12	
	13	उपयुक्त 11 में सम्मिलित की गई ऐसी आय जो विशेष दरों पर प्रभार्य हों	13	
	14	सामान्य दरों पर प्रभार्य आय	14	
	15	अनाय संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा	15	
	16	अकिस्तर सीमा दान पर प्रभार्य आय	16	

कर की संगणना	गैर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना		
	1	1क धारा 115अख के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर	1क
		1ख उपयुक्त (क) 1र अधिभार	1ख
		1ग उपयुक्त 1क+ख पर शिक्षा उपकर	1ग
		1घ धारा 115 अख के अधीन संदेय कुल कर $(1क+1ख+1ग)$	1घ
कर की संगणना	2	भाग ख - कुल आय की मद 11 में कुल आय पर संदेय कर	
		क सामान्य दरों पर कर	2क

कर शुल्क	क	विशेष कर पर कर (अनु. बल्ल 11)	2ख		
	ग	कर 115 खख के अधीन अमान सैदानों पर लौस प्रतिशत की दर पर कर	2ग		
	घ	न्यूनतम सीमांत दर पर कर	2घ		
	ङ	भाग ख - कुल आय की मूल 11 में कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख+2ग+2घ)	2ङ		
	3	2ङ पर अविभार	3		
	4	(2ङ + 3) पर शिक्षा उपकर, जिसके अंतर्गत सेकंडरी और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है	4		
	5	सकल कर वायित्व (2ङ+3+4)	5		
	6	संदेय सकल कर (5 और 1घ का उच्चतर)	6		
	7	पूर्वतर वर्षों में संदेय कर का धारा 115 अकक के अधीन मुजरा (5 के 1ख से अधिक होने की दशा में) अनुसूची एमएटीसी की मद सं. 5	7		
	8	धारा 115 अकक के अधीन मुजरा के संघात्	8		
	9	कर राहत			
	क	धारा 90/90क	9क		
	ख	धारा 91	9ख		
	ग	कुल (9क+9ख)	9ग		
	10	शुद्ध कर वायित्व (8-9क)	10		
कर शुल्क	11	संदेय ब्याज			
	क	बिबरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	11क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	11ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	11ग		
	घ	कुल संदेय ब्याज (11क+11ख+11ग)	11घ		
	12	कुल वायित्व (10+11घ)	12		
	13	संदेय कर			
	क	अग्रिम कर (अनुसूची-आय-कर से)	13क		
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (अनुसूची-स्रोत पर कर कटौती का स्तंभ 7)	13ख		
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (अनुसूची-स्रोत पर कर संग्रहण का स्तंभ 5)	13ग		
	घ	स्वतः कर निर्धारण (अनुसूची-आय-कर से)	13घ		
	ङ	कुल संदेय कर (13क+13ख+13ग+13घ)	13ङ		
	14	संदेय रकम (यदि 12 13ङ से अधिक है तो 12 प्रविष्ट करें अन्यथा 4 प्रविष्ट करें)	14		
	15	प्रतिबाध (यदि 13ङ 12 से अधिक है), अनुसूची बैंक खाता में बैंक खाते के ब्यौर में दें	15		

अनुसूची बैंक खाता		कृपया बैंक खाते के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें									
1	अपना बैंक खाता संख्यांक प्रविष्ट करें (सभी मामलों में अनिवार्य)										
2	क्या आप बैंक द्वारा ☐ या सीधे बैंक खाते में जमा कराए जाने के माध्यम से ☐ प्रतिदाय चाहते हैं (जैसे लागू हो ☒ का निशान लगाएं)										
3	अपने बैंक खाते का अतिरिक्त ब्यौर दें										
एमआईसीआर कोड											सभी प्रकार का खाता जैसे लागू हो ☒ का निशान लगाएं ☐ बचत ☐ चालू
क्या आपके पास—											
(i) भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (किसी सत्ता में वित्तीय हित सहित) है : या ☐ हां ☐ नहीं											
(ii) भारत के बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है ? ☐ हां ☐ नहीं											
[केवल निवासी की दशा में लागू होता है] [यदि उत्तर हां में है तो अनुसूची वित्तीय आस्ति को भरा जाना सुनिश्चित करें]											

संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की संख्या

क्रम सं.	वर्णन	अंकों में	शब्दों में	क्रम सं.	वर्णन	अंकों में	शब्दों में
क	प्रारूप सं. 10ख में संपरीक्षा रिपोर्ट			ख	आय और व्यय लेखा		
ख	प्रारूप सं. 10ख में संपरीक्षा रिपोर्ट			घ	तुलन पत्र		
ग	धारा 11(1) के अधीन विकल्प अपनाने के लिए आवेदन			छ	स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र		
घ	प्रारूप 10ख/10खग						

सत्यापन

मैं, जो, का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा सख्याक, का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसके साथ संलग्न अनुसूचियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2012-2013 से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के आय-कर के लिए प्रभावी आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं व हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →

अनुसूची अ	धारा 11(2) के अर्थात्तर्गत संचित/अलग रखी गई रकमों का ब्योरा	संचयन का प्रयोजन	वर्ष के दौरान उपयोग की गई रकम	उपयोग के लिए उपलब्ध अतिशेष रकम	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थात्तर्गत आय समझी जाने वाली रकम
संचयन का वर्ष	संचित रकम	क्या धारा 11(5) के उपबंधों के अनुसार निवेश किया गया है जैसे लागू हो छ का निशान लगाएं	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		☐ हां ☐ नहीं			

		☐ हा	☐ नहीं				
		☐ हा	☐ नहीं				
		☐ हा	☐ नहीं				
		☐ हा	☐ नहीं				
योग		☐ हा	☐ नहीं				

અનુસૂચી અ

पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को यथाविद्यमान सभी निधियों के विनिधान को दर्शाने वाला विवरण

अ धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/जमा राशियों का ब्योरा							
क्र.सं.	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान		विनिधान की तारीख	परिपक्वता की तारीख	विनिधान की रकम	परिपक्वता पर रकम	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
i	सरकार बचत स्कीम में विनिधान						
ii	आक घर बचत बैंक						
iii	धारा 11(5)(iii) के अनुसार अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटियों में जमा						
iv	भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विनिधान						
v	कोई अन्य						
vi	योग (समुत्थान)						
आ उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान							
क्र.सं.	समुत्थान का नाम और पता	जहां समुत्थान कोई कंपनी है जैसे लागू हो <i>का निशान लगाएं</i>	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
ii		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
iii		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
iv		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
v		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
vi		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
योग							

इ पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान					
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो ☒ का निशान लगाकर)	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिलेखित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i		☐ हां ☐ नहीं			
ii		☐ हां ☐ नहीं			
iii		☐ हां ☐ नहीं			
iv		☐ हां ☐ नहीं			
v	योग				

इ. ऐसे स्वीच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है

क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				
iii				
iv	योग			

अनुसूची ट		न्यास या संस्था के न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/ संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)/न्यासी (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) आदि के बारे में विशिष्टियों का विवरण	
अ	न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों) का/के नाम और पता/पते यदि जीवित हैं		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	
आ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम, जो पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान न्यासी/प्रबंधक था/थे		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	

इ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम जिसने (जिन्होंने) धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में पर्याप्त अभिदाय किया है	
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक
ई	न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं), संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासीयों), प्रबंधक (प्रबंधकों) और सारवान अभिदायकर्ता (अभिदायकर्ताओं) का (के) नाम और जहां कोई ऐसा न्यासकर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान अभिदायकर्ता कोई हिंदू अभिभक्त कुटुंब है तो उस कुटुंब के सदस्यों और उनके नातदारों के भी नाम	
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक

अनुसूची टक

राजनैतिक दल

1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हो ☐ हा ☐ नहीं
2	क्या बीस हजार रुपए से अधिक के प्रत्येक स्वीच्छिक अभिदाय का (ऐसे व्यक्ति का नाम और पते सहित, जिसने ऐसा अभिदाय किया है) अभिलेख रखा गया था ? जैसे लागू हो ☐ हा ☐ नहीं
3	क्या लेखाओं की स परीक्षा की गई है ? जैसे लागू हो ☐ हा ☐ नहीं
	यदि हां तो संपरीक्षा की तारीख
	तारीख/मास/वर्ष
4	क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन उस वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? जैसा लागू हो ☐ हा ☐ नहीं

अनुरागी अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	क्या आपकी 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन कोई आय है ☐ हा ☐ नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित धारा प्रविष्ट करें)	
	1	घुबदीइ का घोड़ा/ के घोड़े का स्वामित्व रखने से भिन्न आय:-
	क	समग्र के लिए स्वीच्छिक अभिदाय/संदान
	ख	समग्र से भिन्न के लिए स्वीच्छिक अभिदाय/संदान

ग	सकल लाभाना	1ग		
घ	सकल व्यय	1घ		
ङ	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों आदि से किराए की सकल आय	1ङ		
च	अन्य आय (सकल)	1च		
छ	योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च)	1छ		
ज	धारा 57 के अधीन कटौतियां			
	i व्यय/कटौतियां	जा		
	ii अवहाय ज	जाii		
	iii योग	जाiii		
झ	अतिशेष (1छ -- जाiii)	1झ		
2	लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ आदि से जीत	2		
3	अन्य स्रोतों से (घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व रखे से भिन्न) आय (1झ+2) (यदि हानि हो तो 1झ में 'शून्य' प्रविष्ट करें)	3		
4	घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व रखने और उनके अनुरक्षण के से आय			
	क भावतियां	4क		
	ख (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	4ख		
	ग अतिशेष (4क-4ख)	4ग		
5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रचार्य (3+4ग) (यदि हानि हो तो 4ग में "शून्य" प्रविष्ट करें)	5		

अनुसूची - गृह संपत्ति गृह संपत्ति से आय का ब्यौरा

क्या आपकी गृह संपत्ति शीर्ष के अधीन कोई आय है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)	
क्या संपत्ति सह-स्वामित्व की है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)	
1 संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर राज्य पिन कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्व की है ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)	
संपत्ति में आपका प्रतिशत हिस्सा	
क्र.सं.	सह-स्वामी (सह-स्वामियों) का नाम सह-स्वामियों का स्थायी खाता संख्यांक (वैकल्पिक) संपत्ति में प्रतिशत हिस्सा (वैकल्पिक)
i	
ii	
☒ का निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया है ☐ किराएदार का नाम किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)
ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर
घ	कुल (1 ख + 1 ग)
ङ	अतिशेष (1 क - 1 घ)

ब 1ड का 30%		1घ		
छ उधार ली गई संपत्ति पर सदेय ब्याज		1छ		
ज योग (1 घ + 1 छ)		1ज		
झ गृह संपत्ति से आय 1 (1 ड - 1 ज)		1झ		
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्व की है ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्यारे प्रविष्ट करे)				
संपत्ति में आपका प्रतिशत हिस्सा				
क. सं.	सह-स्वामी (सह-स्वामियों) का नाम	सह-स्वामी (सह-स्वामियों) का स्थायी खाता सं. (वैकल्पिक)	संपत्ति में प्रतिशत हिस्सा (वैकल्पिक)	
i				
ii				
☒ का निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया है ☐		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)			2क
ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है	2ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ	कुल (2 ख + 2 ग)	2घ		
ङ	शेष (2 क - 2 घ)	2ङ		
च	2ड का 30%	2च		
छ	उधार ली गई संपत्ति पर सदेय ब्याज	2छ		
ज कुल (2 च + 2 छ)		2ज		
झ गृह संपत्ति 2 से आय (2 ड - 2 ज)		2झ		
3	गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय			
क	घारा 25क/25कक के अधीन वसूल किया गया किराया	3क		
ख	30% कटौती के पश्चात् घारा 25ख के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया किराया	3ख		
ग	योग (3क+3ख+1झ+2झ)	3ग		

अनुसूची - पूंजी अभिलास		पूंजी अभिलास		
क्या पूंजी अभिलास के अधीन आपकी कोई आय है? ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हाँ" तो कृपया निम्नलिखित व्योरे प्रविष्ट करें)				
पूँजी अभिलास	अ अल्पकालिक पूंजी अभिलास			
	1 आस्तियों से			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	अर्जन की लागत	खi	
	ii	सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	खiv	
	ग	अतिशेष (3क-खiv)	1ग	
	घ	अल्पकालिक पूंजी अभिलास (1ग)	1घ	
	2 अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलास			2
	3 कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलास (1घ + 2)			3
	4 धारा 11(1क) के अधीन छूट			4
	5 अतिशेष (3-4)			5
	6 5 में सम्मिलित किया गया धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलास			6
	7 धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलास (5-6)			7
	आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलास			
	1 ऐसी अन्य आस्तियाँ, जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग नहीं किया गया है			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
i	सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi		
ii	सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii		
iii	अंतरण पर व्यय	खiii		
iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
ग	अतिशेष (1क-खiv)	1ग		
घ	शुद्ध अतिशेष (1ग)	1घ		
ङ	धारा 11(1क) के अधीन छूट	1ङ		
च	कुल दीर्घकालिक, जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग नहीं किया गया है (1घ - 1ङ)	1च		
2 ऐसी अन्य आस्तियाँ, जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया है				
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	2क		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi		
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii		
iii	अंतरण पर व्यय	खiii		
iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
ग	अतिशेष (2क-खiv)	2ग		
घ	शुद्ध अतिशेष	2घ		
ङ	धारा 11(1क) के अधीन छूट	2ङ		
च	कुल दीर्घकालिक, जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया है (2घ - 2ङ)	2च		
3 कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलास (1च (यदि हानि है तो शून्य लिखें) + 2च (यदि हानि है तो शून्य लिखें))			3	
द "पूँजी अभिलास" शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (अ5+आ3) (यदि हानि है तो आ3 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें)			द	

अनुसूची कारबार या वृत्ति		साधारण	
क्या कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है? ☐ हां ☐ नहीं (यदि "हां" तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेशों के प्रति निर्देश करें)	1	
2	शाखाओं की संख्या	2	
3	पूर्ववर्ष में लेखांकन की पद्धति ☒ (का निशान लगाएं) ☐ वाणिज्यिक ☐	3	
4	क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां	4	
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्ववर्ष में लागू बंध स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)	☐	
ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)		
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

अनुसूची कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से निम्न, कारबार या वृत्ति से			
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ	1	
2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविष्ट करें)	2	
3	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविष्ट करें)	3	
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो धारा 44कघ/धारा 44कड में निर्दिष्ट है	4	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क फर्म (फर्मों) से आय का अंश	5क	
	ख एओपी/बीओए से आय का अंश	5ख	
	ग कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग	
	घ कुल छूट प्राप्त आय	5घ	
6	अतिशेष (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)	6	
7	आय के अन्य शीर्षों के विचाराधीन लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7	
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है	8	
9	योग (7 + 8)	9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10	
11	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख के अधीन समझी गई आय	11	
12	धारा 28 से 44कघ के अधीन कोई अन्य मद या मदे	12	

13	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसके अंतर्गत ऐसी फर्मा से, जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है)	13		
14	योग (10 + 11 + 12 + 13)	14		
15	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटीती	15		
16	कोई अन्य रकम, जो कटीती के रूप में अनुज्ञेय है	16		
17	योग (15 + 16)	17		
18	आय (14 - 17)	18		
19	कारबार या वृत्ति के निम्नलिखित के अधीन समझे गए लाभ या हानि			
	i धारा 44कघ	19i		
	ii धारा 44कड	19ii		
	iii योग (19i से 19ii)	19iii		
20	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटीती से पूर्व लाभ या हानि (18 + 19iii)	20		
21	निम्नलिखित के अधीन कटीतियां-			
	i 10क	21i		
	ii 10कक	21ii		
	iii 10ख	21iii		
	iv 10खक	21iv		
	v योग (21i + 21ii + 21iii + 21iv)	21v		
22	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (20 - 21v)	22		
23	नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 22 में है)	क23		
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
24	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	24		
25	धारा 28 से 44कक के अनुसार परिवर्धन	25		
26	धारा 28 से 44कक के अनुसार कटीतियां	26		
27	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (24 + 25 - 26)	ख27		
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
28	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	28		
29	धारा 28 से 44कक के अनुसार परिवर्धन	29		
30	धारा 28 से 44कक के अनुसार कटीतियां (धारा 35कघ के अधीन कटीती से भिन्न)	30		
31	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (28 + 29 - 30)	31		
32	धारा 35कघ के अनुसार कटीतियां	32		
33	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (31 - 32) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	33		
ई	लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (अ23 + अ27 + इ33)	ई34		
ए	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभाय आय की संगणना			
		ए35		
35	आय, जो कारबार उपक्रम के खाते में दर्शाई गई है धारा 11 (4) के प्रति निर्देश करें।			
36	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभाय आय ई34 + ए 36।	ए36		

अनुसूची सीआईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरे जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			कुल हानि	कुल हानि	कुल हानि	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
चालू वर्ष की हानि समयोजन	समायोजित की जाने वाली हानि					
	i गृह संपत्ति					
	ii कारबार (सट्टेबाजी आय को छोड़कर)					
	iii सट्टेबाजी से आय					
	iv विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
	v अल्पकालिक अभिलाष					
	vi दीर्घकालिक अभिलाष					
	vii अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से लाभ और लाटरी की जीत को छोड़कर)					
	viii दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
	ix मुजरा की गई कुल हानि					
x	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची एमएटी धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम वैकल्पिक कर की संगणना

1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, '1' लिखें, यदि नहीं तो '2' लिखें)	☐
2	क्या ऊपर मद 1 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए उन समान लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों का अनुपालन और अवक्षणय की संगणना करने के लिए उन समान पद्धति और दरों का अनुसरण किया गया है, जो कंपनी के समक्ष, उसकी वार्षिक साधारण सभा की बैठक में रखने हेतु लेखा तैयार करने के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो 1 लिखें यदि नहीं तो 2 लिखें)	☐
3	लाभ और हानि लेखा में यथावश्यक कर के पश्चात् लाभ	
4	जोड़े (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	3
	क आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदेय या संदेय आय कर या उसका उपबंध	4क
	ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	4ख
	ग अभिनिर्दिष्ट न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	4ग
	घ समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	4घ
	ङ संदेय या प्रस्तावित लाभभांश	4ङ
	च धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	4च

	छ	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	4छ		
	ज	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	4ज		
	झ	कुल कटौतियाँ (4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च+4छ + 4ज)		4झ	
5	कटौतियाँ				
	क	आरक्षित या उपबंधों से निकाली गई रकम, यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है	5क		
	ख	धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन [धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर] छूट प्राप्त आय	5ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से निकाली गई तथा उस सीमा तक, लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम, जो आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होती है	5ग		
	घ	अग्रणीत की गई हानि या अनामेयित अवक्षयण, जो भी कम हो	5घ		
	ङ	रूपण औद्योगिक कंपनी का लाभ, जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	5ङ		
	च	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों तथा लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	5च		
	छ	कुल कटौतियाँ (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+ 5च)		5५	
6	धारा 115जख के अधीन खाता लाभ (3+ 4 झ - 5छ)				6
7	धारा 115जख के अधीन संदेय कर (6) का 18.5%				7

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 जकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना				1	
एमएटी प्रत्यय	1	निर्धारण वर्ष 2012-13 में धारा 115जख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)				2	
	2	निर्धारण वर्ष 2012-13 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 5)				3	
	3	कर की रकम, जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2, 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]					
	4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
		क्र. सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अग्रणीत एमएटी प्रत्यय (ख)	चालू वर्ष के दौरान उपयोग किया गया एमएटी प्रत्यय (ग)	चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ) [यदि 2, 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (ङ) [ङ = ख-ग + घ]
		i	2006-07				
		ii	2007-08				
		iii	2008-09				
		iv	2009-10				
		v	2010-11				
		vi	2011-12				
		vii	2012-13				
		viii	योग				
5	धारा 115जकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (viii) प्रविष्ट करें]						5
6	पश्चात्तुर्वर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4ङ(viii) प्रविष्ट करें]						6

अनुसूची एआई				विशेष दर से प्रभावि आय पर आय-कर से छूट (कृपया अनुदेश देखें)								
विशेष दर	क्रम सं.	घात कोड		विशेष दर (%)	आय i	उत्त पर कर ii	क्रम सं.	घात कोड		विशेष दर (%)	आय i	उत्त पर कर ii
	1	1क	☐	15			6	5खख	☐	15		
	2	22	☐	10			7		☐			
	3	21	☐	20			8		☐			
	4	5खख	☐	30			9		☐			
	5	5खखग	☐	30			18		☐			
	11											
योग (1ii से 10 ii)												

अनुसूची आईटी			अग्रिम कर और आय-कर के स्वतःनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे							
क्र. सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)						
i										
ii										
iii										
iv										
v										
vi										

टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 11क और 11घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर			आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क के अनुसार]			
क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम	विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र सं.	वित्त वर्ष जिसमें टीडीएस की कटौती की गई है	कटौती किया गया कुल कर	(6) में से इस वर्ष दावा की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						

टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के 13(ख) में अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर के स्तंभ 7 का योग प्रविष्ट करें।

अनुसूची-टीसीएस

स्रोत पर संग्रहित किए गए कर के ब्यौरे [संग्रहणकर्ता (संग्रहणकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]

क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	संग्रहित की गई कुल रकम	(4) में से वर्ष के दौरान दावा की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
i				
ii				

टिप्पण ► भाग ख टीटीआई के क्रम सं.15 में स्तंभ (5) का योग प्रविष्ट करें ।

टिप्पण ► भाग ख टीटीआई के क्रम सं.15ग में स्तंभ (5) का योग प्रविष्ट करें।

अनुसूची विआ			विदेशी आस्तियों के ब्यौरे		
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	बैंक का नाम और पता	खाते में वर्णित नाम	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					

विदेशी आस्तियों के ब्यारे

ख किसी अस्तित्व में वितीय हित के ब्यारे					
क्र. सं.	देश का नाम (1)	देश का कोड (2)	अस्तित्व की प्रकृति (3)	अस्तित्व का नाम और पता (4)	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) (5)
(i)					
(ii)					
ग स्थावर संपत्ति के ब्यारे					
क्र. सं.	देश का नाम (2)	देश का कोड (3)	संपत्ति का पता (4)	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) (5)	
(i)					
(ii)					
घ किसी अन्य आस्ति के ब्यारे					
क्र. सं.	देश का नाम (2)	देश का कोड (3)	आस्ति की प्रकृति (4)	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में) (5)	
(i)					
(ii)					
ङ आप जिन खाते (खातों) में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी हैं और जो उपर्युक्त क से घ में सम्मिलित नहीं हैं के ब्यारे दें					
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है (2)	संस्था का पता (3)	खाते में वर्णित नाम (4)	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में) (5)	
(i)					
(ii)					

[अधिसूचना सं. 29/2012/फा. सं. 142/31/2011-टी.पी.एल.]

आशीश चन्द्रा मोहंती, अवर सचिव

टिप्पण -- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं० का०आ० 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और आय-कर (संवर्धन संशोधन) नियम, 2012 द्वारा अधिसूचना सं० 1453(अ), तारीख 2 जुलाई, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।